O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 1397
Date 31 JAN 2024
Addl.CE ....
SE ....

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एनः– U40108CT2003SGC015820
O/o ED (HR), CSPTCL, Raipur

क्रमांक :– 01–01/प्र.अ./23/2023/ 401 रायपुर, दिनांक 22/01/2024

(अपील प्र.क्रं. 23/2023)

अमरूता सिंह आवेदिका
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 22/01/2024 को पारित)

आवेदिका अमरूता सिंह द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रदाय नहीं कराया गया है की दशा में जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– दो, के विरूद्ध सूचनाधिकार की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील आवेदन दिनांक 02.11.2023 प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	कार्यालय –कार्यपालन यंत्री, उपकेन्द्र, संभाग–1 छ.ग.रा.वि. पारे.कं.मर्या. गुढ़ियारी के अधीन 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सिलतरा में पदस्थ श्री जानिक राम कर्ष, पिता श्री गोपाल कर्ष, परि. श्रेणी–1 की सेवा बर्खास्त करने का आदेश क्रमांक 02–14/ए.एम–111/आदेश/793 दिनांक 04/4/2022 का आदेश एवं जांच में प्राप्त सभी दस्तावेज की छायाप्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध आवेदिका की अपील व कारण :–	220 के. व्ही. उपकेन्द्र सिलतरा, रायपुर पारे. कं. में पदस्थ श्री जानिक राम कर्ष, परि. श्रेणी–1 की सेवा बर्खास्त करने संबंधी आदेश एवं जांच में प्राप्त सभी दस्तावेज की छायाप्रति मांगी गई थी, जिसे आज दिनांक तक प्रदाय नही कराया गया है प्रदाय नहीं कराने की दर्शा में छ.ग. शासन एवं उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		07.12.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित किन्तु आवेदिका अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		17.01.2024	जनसूचना अधिकारी उपस्थित किन्तु आवेदिका पुनः अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(iv)	जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		आवेदिका द्वारा चाही गई दस्तावेज उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– तीन के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(4)(5) के अंतर्गत सहायता ली गई। संबंधित प्रभाग द्वारा कुल 43 पृष्ठों में जानकारी उपलब्ध करायी गई। अतएव निर्धारित समयावधि 30 दिवस के भीतर धारा 7(1) के अंतर्गत पत्र क्रमांक 5474 दिनांक 19.10.2023 के माध्यम से कुल 43 पृष्ठों की जानकारी

			हेतु अभिलेख शुल्क रूपये 86/—मात्र का भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त किये जाने बाबत् आवेदिका को दिये गये पते पर सूचित किया गया है। आवेदिका द्वारा दिनांक 06.11.2023 को निर्धारित अभिलेख शुल्क का भुगतान नगद के माध्यम से किया गया। अतएव पत्र कमांक 5762 दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से आवेदिका को कुल 43 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी गई है। उल्लेखनीय है कि धारा 5(4)(5) के अंतर्गत संबंधित प्रभाग से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर आवेदिका को वांछित आदेश कमांक 793 दिनांक 04/4/2022 से संबंधित दस्तावेज 43 छाया पृष्ठों में नियमानुसार उपलब्ध करायी गई है। अतः आवेदिका का यह अपील तर्क/कथन कि आज दिनांक तक जानकारी प्रदाय नहीं की गई है, पूर्णतः निराधार है।

(3) — सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयांतर्गत कार्यवाही की गई है।

तालिका 01 में आवेदिका द्वारा जनसूचना अधिकारी से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सिलतरा, रायपुर में पदस्थ श्री जानिक राम कर्ष, परि. श्रेणी—1 की सेवा बर्खास्त संबंधी आदेश कमांक 793 दिनांक 04/4/2022 का आदेश एवं जांच में प्राप्त सभी दस्तावेज की मांग की गई है।

तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4)(5) के पालनार्थ एवं धारा 7(1) के अंतर्गत अभिलेख शुल्क प्राप्त कर आवेदिका को 43 छाया पृष्ठों की जो जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है वह पूर्णतः सही है जो न्यायसंगत है। अतएव जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही प्रावधानुसार है। अतः आवेदिका का अपील तर्क/कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जा चुकी है। तदनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधि सगंत कर्तव्य का वहन किया गया है, जो स्वीकार्य है। अतएव कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणामतः प्रथम अपील समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक — 0771—2574700

प्रतिलिपि :—(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)—दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर।
(2) अमरूता सिंह, अनुव्रत विहार के पास, छोटा भवानी नगर, ए/2, कोटा, गुढ़ियारी, रायपुर।
(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर — उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :— सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर ।